पंजीकृत/फैक्स /स्मरण पत्र

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निदेशक–कम–मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्यालय।
3. सभी संयुक्त निदेशक, औ0 सुरक्षा एंव स्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा (रोहतक को छोडकर)।
4. सभी उप निदेशक, औ0 स्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा।
5. सभी उप श्रम आयुक्त (रोहतक व पानीपत को छोडकर), श्रम विभाग, हरियाणा।
6. सभी उप निदेशक, औ0सुरक्षाएवंस्वा0 (हिसार को छोडकर), श्रम विभाग, हरियाणा।
7. सभी सहायक निदेशक, औ0सुरक्षाएवंस्वा0, श्रम विभाग, हरियाणा।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, श्रम विभाग, हरियाणा।
9. सभी सहायक श्रम आयुक्त (रेवाडी, कैथल, पानीपत–I, सोनीपत–I, फरीदाबाद–I, रोहतक को छोडकर) श्रम विभाग, हरियाणा।
10. सभी श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांकः स्था0/04/2017/32317-497
दिनांकः 14-11-17

Subject:- **Implementations of Haryana Right to service Act & Rules, 2014.**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.06.2016 व पत्र दिनांक 10.01.2017 और पत्र क्रमांक 30163–290 की निरंतरता में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि आयुक्त, हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन, चंडीगढ से वि0अर्ध–सरकारी पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.06.2017 व 10.08.2017 का हवाला देते हुए सूचित किया गया था कि उक्त अधिनियम के तहत नामित अधिकारी को अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के रिकार्ड को निर्धारित प्रोफार्मा (फार्म न0–ए) अनुसार मैनटेन किया जाना है, परंतु उन द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरे के दौरान, यह पाया गया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत नामित अधिकारी और अपीलिय अधिकारियों द्वारा अनिवार्य प्रावधानों का पालन नही करते है, हालांकि वर्ष 2014 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। जिस संबध में आपको अर्ध–सरकारी पत्र जोकि आयुक्त, हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन, चंडीगढ से प्राप्त हुआ था कि छायाप्रति मूल रुप में भेजकर अनुरोध किया गया था कि आप द्वारा उक्त अधिनियम के तहत विभाग की जिन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है के संबंध में निर्धारित फार्म अनुसार रिकार्ड मैनटेन कर रहे है या नही बारे अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2017 प्रातः 11.00 बजे तक ई–मेल (establishment456@gmail.com)/फैक्स के माध्यम से भेजे परंतु आपसे अभी तक इस बारे कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। अतः आपकों पुनः निर्देश दिये जाते है कि उक्त बारे अपनी रिपोर्ट दो दिन के अन्दर–2 मुख्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे, ताकि प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग को सूचित किया जा सकें। अन्यथा देरी के लिये आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

D:\Z-Backup\Rajesh\RTSAct.doc